कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
(व्यवस्थापन "ग" वर्ग)
लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक- 109 /07 व्यग–अधि0–03/10
सेवा में, दिनांक:- 27.01.2011

मुख्य अभियन्ता(ग0/कु0क्षे0),
लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,
....

विषय:- आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों का कार्य निर्धारण।

उपरोक्त विषयक आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायकों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र सं0 2027/11व्यग–अधि0–03/10 दि0 26.08.10 द्वारा भी आदेश जारी किये जा चुके है।

1. सम्बन्धित अधिकारी का अभि–भाषण का अंकन एवं टंकण।
2. सम्बद्ध अधिकारी किसी भी प्रकरण में जॉच अधिकारी/पंच निर्णायक नियुक्त होने पर सम्बिन्धत प्रकरण में सहयोग एवं निस्तारण एवं अभिलेखों का रखरखाव।
3. खण्डीय वृत्तीय कार्यालयों ठेकेदारों को काली सूची में डालने की पंजिका का रखरखाव आशुलिपिको/वैयक्तिकों सहायकों द्वारा किया जाय, ठेकेदारों का पंजीकरण कार्य कार्यालय व्यवस्था के अन्तर्गत है।
4. अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय आख्याओं का अंकन/अद्यतन/प्रेषण सम्बन्धी कार्य।
5. अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति/ए0सी0पी0 आदि में वा0गो0 आख्या का अंकन।
6. खण्डीय/वृत्तीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के समय वैयक्तिक सहायकों को गोपनीय अभिलेखों के परीक्षण में शामिल किया जाय।
7. वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों के अवकाश में जाने पर उनका कार्य मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाय।
8. वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिकों की अलग उपस्थिति पंजिका के आदेश पूर्व ही है।
9. अन्य कार्य अधिकारी के निर्देशों के कम में।
10. खण्डीय स्तर पर आशुलिपिकों से शिकायत/अनुशासनिक कार्यवाही न कराकर सम्बन्धित अनुभाग से कराया जाय।
11. तकनीकी/लेखा सम्बन्धी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण कार्य में आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक को मुक्त रखा जाय।

12. क्षेत्रीय स्तर के शिकायती/अनुशासकीय कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण/अद्यत परिवाद वर्ग से ही निस्तारण किया जाय।
13. सम्बद्ध अधिकारी के निरीक्षण टिप्पणियों की पत्रावली का रख रखाव एवं अनुश्रवण अ स्तर से कराया जाय।
14. वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिकों को स्थानीय बैठकों में भाग लेने हेतु नामित न किया ज
15. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशो का अनु किया जाना।

मुख्य अभियन्ता स

प्रति– समस्त अधिशासी अभियन्ता,........ खण्ड, लो0नि0वि0,......................।

प्रति– लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–I, लो0नि0वि0, देहरादू उनके पत्र सं0 1472/63(556)सू0अ0/10 दिं0 20.12.2010 के कम में सूचनार्थ एवं आव कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रति– प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0स्टेनोग्रफर्स/वैयक्तिक सहायक संघ, कार्यालय मुख्य अभि स्तर–I, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रति– गार्ड पत्रावली।

I.T
Upload on
site
21.9.17

मुख्य अभियन्ता स